न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 73/2021 **GCMS 2021/290**

वादीया

1. सीता देवी पत्नी छोटूराम जाति मेघवाल उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा :– इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88 188 राज.काश्त. अधि.1955

उपस्थित :– श्री भीकमचन्द अधिवक्ता वादीया की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 9/2/2023

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादीया एवं सहखातेदारान एक ही परिवार के सदस्य है व स्व. हरजीराम के वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

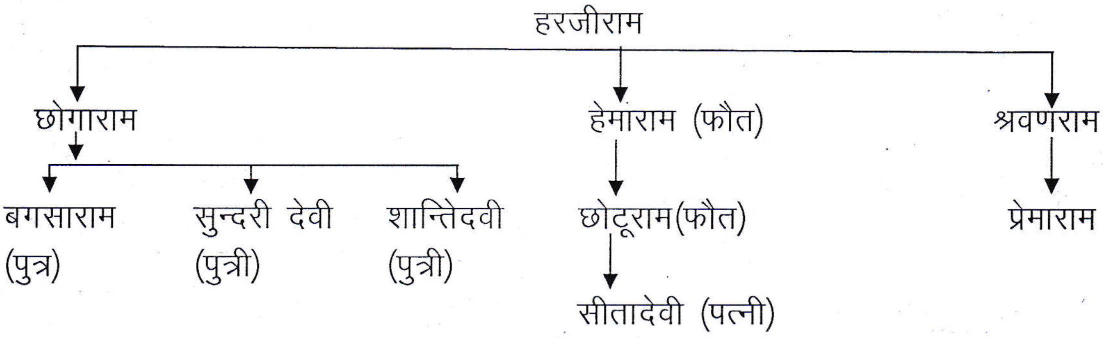

ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 कुल रकबा 4.71 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार हेमाराम पुत्र हरजीराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज चले आ रहे है, हेमाराजी के एक पुत्र छोटूराम जरिये उत्तराधिकारी छोटूराम का विवाद वादिया सीतादेवी के साथ हुआ जो एकमात्र उत्तराधिकारी वारिस चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार हेमाराम जी के पुत्र छोटूराम का स्वर्गवास अपने पिता हेमाराम के जीवनकाल में ही हो गया जिसकी एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी वादिया काबिज चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा स्व. हेमाराम के स्थान पर छोटूरा के अपने पिता के जीवनकाल मे ही देहान्त हो जाने पर वादीया सीतादेवी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसकी एकमात्र वारिस जरिये उत्तराधिकारी काबिज चली आ रही है, जिसकी एक समाज के पंच पटेलो के सामने पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर भी लिखावट की गई है। खसरा नम्बर 68 में अन्य सहखातेदारान का जो हिस्सा स्थित है उसका इस वाद में कोई विवाद नही है इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादिया की इस्तदुआ है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 68 रकबा 4.71 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा हेमाराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बंद किया गया। वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2074–77 की नकल, दिनॉक 26.10.1992 की पांच रूपये के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी, अन्य लिखा पढ़ी की छाया प्रति प्रस्तत की। मौखिक साक्ष्य में वादिया का शपथ–पत्र, गवाह हीरासिंह पुत्र घीसासिंह रावणा राजपूत पालड़ी के प्रस्तुत हुये।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वकील वादी ने कथन किया है कि ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 68 रकबा 4.71 में स्थित 1/3 हिस्सा हेमाराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2074–77 ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 68 रकबा 4.77 हैक्टर में केशरदेवी पत्नी छोगाराम हिस्सा–1/6 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, बक्साराम पुत्र छोगाराम हिस्सा–1/6 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, भंवरलाल पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा–1/6 जाति मेघवाल सा. कांसेड़ा तहसील नावां खातेदार, लक्ष्मनराम पुत्र गणेशराम हिस्सा–1/6 जाति मेघवाल सा. कांसेड़ा तहसील नावां खातेदार, हेमाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा–1/3 जाति मेघवाली सा. देह खातेदार दर्ज है। पांच रूपये के स्टाम्प पर दिनॉक 26.10.1992 को लिखित *अनुसार सभी ग्राम पालड़ी के मेघवाल समाज व श्रवण पुत्र हरजी के पुत्र प्रेमाराम के भाई समाज द्वारा यह निर्णय किया गया कि छोटूराम पुत्र हेमाराम दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाने पर छोटूराम की स्त्री श्रीमति सिता को हम मेघवाल समाज पालड़ी के भाई बन्धु सभी रजामंदी मे यह लिखित की है कि छोटूराम के खत्म हो जाने पर उन्हे के काके के भाई प्रेमाराम पुत्र श्रवणराम को सिता की चुड़ी पहनादी जाय यह निर्णय हम सभी भाईयों द्वारा लिया गया, जिसमें लड़का प्रेमाराम व लड़क सितादेवी खुद बयान कर राजमन्द है व भविष्य की कामनाओ के प्रतिक है सभी को पढ़कर सुनाकर लिखावट पूर्ण की जाती है मेघवाल समाज के सामने हेमाराम पुत्र हरजीराम ने बयान दिये की श्रीमति सितादेवी को मेरे भाई के लड़के प्रेमाराम व रहखे तो मुझे व मेरे भाई हमारी औरतो के किसी प्रकार का एतराज नही होगा तथा सभी ने स्टाम्प पर हस्ताक्षर किये*। गवाह हीरासिंह ने अपने शपथ–पत्र मे कथन किया है कि सीतादेवी के परिवार के सदस्यो के फौत होने से पूर्व एवं उनके पश्चात वादिया सीता देवी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि को जानता हूँ उक्त खेत को पूलिया वाला खेत के नाम से जाना जाता है तथा 1/3 हिस्से पर हेमाराम का कब्जा काश्त था तथा उसके पश्चात उसके वारिसान छोटूराम एवं सीतादेवी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है छोटूराम का देहान्त पिता जीवित रहते हुये हो गया था जिसकी जमीन जायदाद ससूर द्वारा सीतादेवी को ही उक्त भूमि का कब्जा काश्त सम्भला दिया गया था जिस दिन से लेकर आज दिन तक उक्त 1/3 हिस्से की भूमि पर सीतादेवी का कब्जा काश्त देखता आया है अतः इसके नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में वादिया द्वारा शपथ–पत्र दिया गया है कि उसके ससुर [illegible] त्र हरजीराम एवं पति छोटूराम पुत्र हेमाराम की मृत्यु हो चुकी है। छोटूराम की मृत्यु पश्चात सामाजिक न्याया पंचायत द्वारा पति छोटूराम की मृत्यु हो जाने पर उसी परिवार में काका [illegible] श्रवणराम के पुत्र प्रेमाराम की चुड़ी पहनाकर वरवक्त पुर्नविवाह किया गया। तब से ही वह [illegible]सी परिवार का हिस्सा बनी हुई है तथा वादग्रस्त भूमि में वादिया के ससुर के नाम सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही 1/3 हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उनकी मृत्यु पश्चात केवल मात्र एक ही उत्तराधिकारी वादिया होने से उसके नाम खातेदारी घोषित किया जाना न्यायोचित है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है। अतः वाद वादीया साबित होने से काबिल डिक्री योग्य पाया गया।

आदेश

वाद वादीया डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 4.71 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि हेमाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा–1/3 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के स्थान पर सीतादेवी पत्नी छोटूराम जाति मेघवाल सा. पालड़ी तहसील कुचामनसिटी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। हेमाराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 9/2/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 73/2021 **GCMS 2021/290**

वादीया

1. सीता देवी पत्नी छोटूराम जाति मेघवाल उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा :– इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्त. अधि.1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री भीकमचन्द अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीया डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 4.71 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि हेमाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा–1/3 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के स्थान पर सीतादेवी पत्नी छोटूराम जाति मेघवाल सा. पालड़ी तहसील कुचामनसिटी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। हेमाराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) [stamp: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी]

दस्तखत हाकिम

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे [illegible] दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:14 IST
Reason: SelfAttested